न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर

राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 136/2015

1. कर्मचन्द पुत्र स्व0 श्री मोहन, जाति दरोगा, निवासी ग्राम रारी तहसील किशनगढ, जिला अजमेर।
2. उम्मेद सिंह पुत्र स्व0 श्री मोहन, जाति दरोगा, निवासी ग्राम रारी तहसील किशनगढ, जिला अजमेर।
3. श्रीमती घीसी देवी पत्नि स्व0 श्री मोहन, जाति दरोगा, निवासी ग्राम रारी तहसील किशनगढ, जिला अजमेर
4. भंवरी देवी पुत्री स्व0 श्री मोहन पत्नि श्री रामेश्वर, जाति दरोगा, निवासी ग्राम रारी तहसील किशनगढ, जिला अजमेर हाल निवासी बड़का चारणवास तहसील दाता रामगढ जिला सीकर।
5. सुगना देवी पुत्र स्व0 श्री मोहन पत्नि श्री बनवारी, जाति दरोगा, निवासी ग्राम रारी तहसील किशगनढ, जिला अजमेर हाल निवासी बड़का चारणवास तहसील दाता रामगढ जिला सीकर।
6. पुष्पा देवी पुत्री स्व0 श्री मोहन पत्नि श्री पूरण जाति दरोगा, निवासी ग्राम रारी तहसील किशनगढ जिला अजमेर हाल निवासी ग्राम चुरली, तहसील किशनगढ जिला अजमेर।
7. इन्द्रा देवी पुत्री स्व0 श्री मोहन पत्नि श्री भागचन्द, जाति दरोगा, निवासी ग्राम रारी तहसील किशनगढ, जिला अजमेर हाल निवासी ग्राम चुरली, तहसील किशनगढ, जिला अजमेर।
8. मधु देवी पुत्री स्व0 श्री मोहन पत्नि श्री नाथू, जाति दरोगा, निवासी ग्राम रारी तहसील किशनगढ, जिला अजमेर हाल निवासी कृषि उपज मंडी के पास जयपुर रोड मदनगंज किशनगढ, जिला अजमेर।

.....प्रार्थी

बनाम

1. रामादेवी पत्नि स्व0 श्री सायर सिंह, जाति दरोगा, निवासी पुराना टेलिफोन एक्सचेन्ज के पास पाटनी भवन, जयपुर रोड, मदनगंज किशनगढ, जिला अजमेर।
2. मधु कंवर पुत्री स्व0 सायर सिंह पत्नि श्री रामसिंह, जाति दरोगा, निवासी हरगुन की नांगल चरवाला पंवालिया, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
3. संगीता कंवर पुत्री स्व0 सायर सिंह पत्नि श्री रतन, जाति दरोगा, निवासी हरगुन की नांगल चरवाला पंवालिया, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
4. रूप कंवर पुत्री स्व0 सायर सिंह, जाति दरोगा, निवासी पुराना टेलिफोन एक्सचेन्ज के पास पाटनी भवन, जयपुर रोड, मदनगंज किशनगढ जिला अजमेर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढ जिला अजमेर।

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन) नियम 1970

जिला कलक्टर
अजमेर

अज अदालत

तारीख

उपस्थित :–

1 श्री सुण्डाराम जाट — अभिभाषक प्रार्थीगण
2 श्री रामदेव गुर्जर — अभिभाषक अप्रार्थीगण 1 से 4
3 श्री ओमप्रकाश गुर्जर — पेरोकार सरकार

–: आदेश :–

दिनांक–27.08.2025

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण की कब्जे काश्त की भूमि ग्राम रारी, पटवार हल्का सरगांव, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र किशनगढ जिला अजमेर स्थित कृषि भूमि जिसके वर्तमान खाता संख्या नया 120 पुराना 104 जिसके खसरा संख्या 76 रकबा 08–08–00 बीघा किस्म बंजर प्रथम भूमि है। इस भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त सम्वत् 2010 से पूर्व से आज तक निरन्तर व लगातार चला आ रहा है। उक्त वर्णित भूमि खसरा संख्या 76 क्षेत्रफल 08–08–00 बीघा अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 के पति एवं पिता श्री सायर सिंह को दिनांक 18.06.1985 गलत रूप से आंवटित कर दी गयी थी। सायर सिंह ने कभी भी ग्राम रारी में निवास नहीं किया तथा सायर सिंह ग्राम रारी का मूल निवासी नहीं था। इसके बावजूद सायर सिंह ने वास्तविक तथ्य छिपाते हुए उक्त भूमि का नियम विरूद्व आवंटन स्वयं के नाम करवा लिया था। ग्राम रारी, पटवार हल्का सरगांव, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र किशनगढ तहसील किशनगढ जिला अजमेर स्थित कृषि भूमि जिसके वर्तमान खाता संख्या नया 120 पुराना 104 जिसके खसरा संख्या 76 रकबा 08–08–00 बीघा किस्म बंजर प्रथम के सबंध में जो आंवटन अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 के पति एवं पिता के नाम दिनांक 18.06.1985 को किया गया था उस आंवटन को निरस्त कर रद्द किये जाने बाबत् प्रार्थना पत्र पेश किया गया हैं।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण के नाम नोटिस जारी किया गया। नोटिस बाद तामील प्राप्त। अप्रार्थीगण जरिये अभिभाषक उपस्थित आये। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 जरिये अधिवक्ता श्री रामदेव गुर्जर उपस्थित आये। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 ने जवाब प्रस्तुत किया गया। उपस्थित उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

प्रार्थी अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र में उठाये गये बिन्दुओ की ताईद करते हुए व्यक्त किया कि प्रार्थीगण की कब्जे काश्त की भूमि ग्राम रारी, पटवार हल्का सरगांव, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र किशनगढ जिला अजमेर स्थित कृषि भूमि जिसके वर्तमान खाता संख्या नया 120 पुराना 104 जिसके खसरा संख्या 76 रकबा 08–08–00 बीघा किस्म बंजर प्रथम भूमि है। इस भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त सम्वत् 2010 से पूर्व से आज तक निरन्तर व लगातार चला आ रहा है। उक्त वर्णित भूमि खसरा संख्या 76 क्षेत्रफल 08–08–00 बीघा अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 के पति एवं पिता श्री सायर सिंह को दिनांक 18.06.1985 गलत रूप से आंवटित कर दी गयी थी। सायर सिंह ने कभी भी ग्राम रारी में निवास नहीं किया तथा सायर सिंह ग्राम रारी का मूल निवासी नहीं था। इसके बावजूद सायर सिंह ने वास्तविक तथ्य छिपाते हुए उक्त भूमि का नियम विरूद्व आवंटन स्वयं के नाम करवा लिया था। स्व0 सायर सिंह को जो आंवटन किया गया था उस आंवटन के फार्म नम्बर 3 पर सायर सिंह ने स्वयं को किशनगढ का निवासी होना दर्शाया था। तथा इसके अलावा आंवटन कमेटी की सिफारिश में भी सायर सिंह को किशनगढ का निवासी होना दर्शाया गया है। इस प्रकार यह पूर्ण स्पष्ट है कि सायर सिंह ग्राम रारी निवासी नही था। बल्कि किशनगढ का निवासी था। जो सायर सिंह के आंवटन फार्म एवं आंवटन

जिला कलक्टर
अजमेर

अदालत-

कमेटी की सिफारिश से पूर्णतया सिद्ध होता है। स्व0 सायर सिंह ने उक्त वर्णित भूमि पर कभी भी काश्त आदि नहीं की है। तथा अप्रार्थीगण ने भी उक्त वर्णित भूमि पर कभी भी काश्त आदि नहीं की है। जबकि उक्त वर्णित भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त पूर्वजों के समय से ही निरन्तर व लगातार चला आ रहा है। स्व0 सायर सिंह को जो उक्त वर्णित भूमि आवंटित की गयी थी। उसके आवंटन फार्म पर सायर सिंह के ससुर ने गवाह के तौर पर अंगुठा निशानी लगाया था तथा सायर सिंह के ससुर ने आंवटन फार्म पर गलत रूप से यह अंकित करवाया था कि उपरोक्त भूमि मेरे जवांई के नाम आंवटन कर दी जावे। स्व0 सायर सिंह के ससुर श्री मोहन को इस प्रकार का तथाकथित सिफारिश करने का कोई विधिक अधिकार नहीं था। उक्त आंवटन के पश्चात उक्त आंवटित भूमि के सबंध में श्री सायर सिंह को गलत रूप से गैर खातेदार एवं इसके पश्चात गलत रूप से खातेदार घोषित किया गया था जबकि वादग्रस्त भूमि पर कभी भी स्व0 सायर सिंह एवं अप्रार्थीगण का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा काश्त नही रहा है। उक्त आवंटित भूमि खसरा संख्या 76 के पुराने नम्बर खसरा संख्या 345 व 346 है। खसरा परिवर्तनशील सम्वत् 2015 से लगातार 2031 तक प्रार्थीगण के दादा श्री गोविन्दा पुत्र नारायण दरोगा का कब्जा काश्त दर्शाया गया है। इसके पश्चात खसरा संख्या 76 की खसरा परिवर्तनशील सम्वत् 2031 से सम्वत् 2041 तक प्रार्थीगण के पिता मोहन पुत्र गोविन्दा का कब्जा काश्त दर्शाया है। इसी प्रकार सम्वत् 2029 व 2030 के खसरा परिवर्तनशील के कॉलम संख्या 1 में खसरा संख्या 76 का गोविन्दा पुत्र नारायण को कॉलम संख्या 15 के अनुसार खातेदार दर्शाया गया है। इस प्रकार यह पूर्णतया स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि पर स्वर्गीय श्री सायर सिंह को आंवटन किये जाने के पूर्व से ही उक्त भूमि पर प्रार्थीगण के पूर्वजो का कब्जा काश्त चला आ रहा था ऐसी स्थिति में स्व0 सायर सिंह को जो भूमि आंवटित की गयी है वह प्रथम दृष्टया ही निरस्त किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर ग्राम रारी, पटवार हल्का सरगांव, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र किशनगढ तहसील किशनगढ जिला अजमेर स्थित कृषि भूमि जिसके वर्तमान खाता संख्या नया 120 पुराना 104 जिसके खसरा संख्या 76 रकबा 08–08–00 बीघा किस्म बंजर प्रथम के सबंध में जो आंवटन अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 के पति एवं पिता के नाम दिनांक 18.06.1985 को किया गया था उस आंवटन को नियम विरूद्ध होने के कारण निरस्त कर रद्द किये जाने का आदेश प्रदान करावे।

राजकीय पैरोकार ने दौराने बहस में निवेदन किया कि पत्रावली में उपलब्ध रेकॉर्ड, दस्तावेज अनुसार अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त नहीं होने से आवंटन निरस्त कर भूमि सिवायचक दर्ज करने के आदेश प्रदान करावें।

अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 ने प्रारम्भिक आपत्तियॉ व जवाब प्रार्थना पत्र व लिखित बहस प्रस्तुत कर दौराने बहस निवेदन किया गया कि अप्रार्थीगण को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है। स्वयं प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र नियम 14 (4) के पैरा संख्या 6 में अंकित किया गया है कि अप्रार्थीगण के पिता सायर सिंह के आवंटन के समय प्रार्थीगण के पिता द्वारा बतौर गवाह के रूप में हस्ताक्षर है एवं आवंटन के समय प्रार्थीगण के पिता/पति द्वारा उक्त भूमि आवंटन करने के लिए सहमती प्रकट की है इस प्रकार प्रार्थीगण के विरूद्ध एस्ओपल का सिद्धान्त लागू होता है। प्रार्थीगण ने माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ में एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 वाद संख्या 79/2015 व राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 79/2015 पेश कर रखा है। माननीय न्यायालय के समक्ष पेश प्रार्थना पत्र के पूर्व में ही प्रार्थीयागण द्वारा

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

जिला कलक्टर
अजमेर

खातेदारी उद्घोषणा का वाद उपखण्ड अधिकारी किशनगढ के न्यायालय में पेश कर रखा है इस कारण से प्रार्थीयागण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) का चलने योग्य नहीं है। अप्रार्थीगण के पति/पिता सायर सिंह पुत्र जसकरण के ग्राम रारी के खसरा नम्बर 76 रकबा 8 बीघा 8 बिस्वा को खातेदारी हो चुकी थी एवं खातेदार सायर सिंह पुत्र जसकरण के फोत होने के पश्चात विरासत का नामान्तकरण अप्रार्थीगण के पक्ष में अधिकार अभिलेख में इन्द्राज हो चुका है एवं अप्रार्थीगण द्वारा उपरोक्त आराजी को दिनांक 08.07.2015 को प्रार्थीयागण द्वारा माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ के समक्ष वाद खातेदारी उद्घोषणा का व अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश करने से पूर्व ही बैचान किया जा चुका है एवं अप्रार्थीगण द्वारा माननीय अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाब पेश किया जा चुका है एवं जवाब में अंकित किय जा चुका है कि जवाबकर्तागण द्वारा उपरोक्त आराजी का बैचान किया जा चुका है जो बैचान अब्दुल रहमान पुत्र खाजू जाति मुसलमान व जाकिर हुसैन पुत्र नूर मोहम्मद जाति मुसलमान को किया जा चुका है। इसलिए अप्रार्थीगण को एवं अप्रार्थीगण के पति/पिता सायर सिंह को खातेदारी अधिकारी प्राप्त हो चुके है इसलिए खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के पश्चात धारा 14 (4) का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा जो यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है वह आंवटन अवधि से 30 साल बाद में यह प्रार्थना पत्र पेश किया है जो लम्बे अर्से के बाद में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो कतई चलने योग्य नहीं है। इस प्रकार माननीय राजस्व मण्डल द्वारा आर.आर.टी 2009 (1) पेज नं0 453 नगेन्द्रलाल बनाम धीरजी में पारित किया गया है कि राजस्थान भू राजस्व (सरकारी भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ आंवटन) नियम 1970 नियम 14 (4) खातेदारी अधिकार प्राप्त होने और आंवटन के 24 वर्ष बाद आंवटन निरस्त किया निरस्त करने के लिए आधार विराधी पक्ष का विवादित भूमि पर कब्जा होना था निचले न्यायालयों कि किसी शर्त का उल्लघंन किया सरकार भूमि पर अतिचार अथवा अतिक्रमण होना आंवटन निरस्ती हेतु आधार नहीं हो सकता है खातेदारी अधिकार अर्जन करने के बाद काश्तकारी अधिकार निरस्त नही किया जा सकते है, आदेश अपास्त किये। अपार्थीगण का ही उपरोक्त आराजी में कब्जा काश्त था एवं तत्पश्चात क्रेतागण को विक्रय पत्र निष्पादन कर मौके पर क्रेतागण को कब्जा संभला दिया गया है। प्रार्थीगण अपने पिता के पक्ष में सरकारी भूमि पर खसरा परिवर्तनशीन के आधार से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जबकि प्रार्थीगण के पिता मोहन द्वारा अप्रार्थीगण के पिता/पति के पक्ष में आंवटन के समय सहमती प्रदत्त की गयी है। कब्जा बाबत तथ्य गांव का न होना यह आवंटन निरस्ती के कारण नहीं है इस परिपेक्ष्य में माननीय राजस्व मण्डल आर.आर.डी 2015 पेज 174 में निर्णय पारित किया गया है। अप्रार्थीगण के पति/पिता सायर सिंह पुत्र जसकरण के नाम उपरोक्त आराजी आज से 30 वर्ष पूर्व अलॉटमेन्ट की गयी थी अलॉटमेन्ट की दिनांक से सायर सिंह की मृत्यु तक कब्जा काश्त सायर सिंह का रहा तत्पश्चात खातेदार सायर सिंह के फोत होने के पश्चात अप्रार्थीगण के पक्ष में विरासत का नामान्तकरण खुल गया एवं कब्जा काश्त अप्रार्थीगण का ही चला आ रहा था। अप्रार्थीगण द्वारा उपरोक्त वर्णित आराजी का बैचान किया जा चुका है जिसमें क्रेतागण का कब्जा काश्त निरन्तर रूप से चला आ रहा है। माननीय राजस्व मण्डल द्वारा आर.बी.जे. 2003 पेज नं0 272 में निर्णित किया गया है। अप्रार्थीगण के पिता/पति सायर सिह किशनगढ का निवासी था परन्तु अपने ससुर की सेवा चाकरी करने के लिए ग्राम रारी में घर जवाब के रूप में रहने लग गया था इस लिए ससुर की कब्जे काश्त की भूमि ससुर की सहमति से ही सायर सिंह के नाम से आंवटन की गयी

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

जिला कलक्टर
अजमेर

थी। माननीय राजस्व मण्डल द्वारा आर.आर.डी 1996 पेज नं0 234 में निर्णित किया गया है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

हमने उभय पक्षों की बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया एवं रेकॉर्ड पत्रावली का अवलोकन किया गया। परगना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी किशनगढ जिला अजमेर द्वारा दिनांक 18.06.1985 को सायरसिंह पुत्र जसकरण जाति दरोगा निवासी किशनगढ को ग्राम सरगांव तहसील किशनगढ के खसरा 76 रकबा 08–08–00 भूमि का आवंटन किया गया था। आवंटन फार्म नम्बर 3 में सायर सिंह किशनगढ में रहना अंकित किया गया है जिस फार्म पर मोहन सिंह ने यह अंकित किया गया है कि "उपरोक्त भूमि मेरे जवाई के नाम आंवटन कर दी जावे व सायर सिह के नाम कोई भूमि नहीं है व यहीं रहता है", जो गलत तथ्यों के आधार पर भूमि आवंटन करवाई गई है। अप्रार्थीगण द्वारा अपने समर्थन में उक्त वादग्रस्त भूमि के सबंध में कब्जा काश्त के सबंध में किसी प्रकार का साक्ष्य दस्तावेजात प्रस्तुत नहीं किये गये है। अतः उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में प्रार्थना पत्र नियम 14(4) राज. भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 स्वीकार कर उपखण्ड अधिकारी किशनगढ के आदेश दिनांक 18.06.1985 में ग्राम सरगांव तहसील किशनगढ जिला अजमेर के खसरा नम्बर 76 रकबा 08–08–00 का अप्रार्थीगण के पति/पिता सायरसिंह पुत्र जसकरण को किया गया आवंटन/नियमन निरस्त किया जाता हैं। तहसीलदार किशनगढ राजहीत में कब्जा प्राप्त करे। आदेश की प्रति तहसीलदार किशनगढ को पालनार्थ प्रेषित हो।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 27.08.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(लोक बन्धु)
जिला कलक्टर, अजमेर

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर